न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/134/2022 दायर दिनांक 30.11.2022

उनवान

1. शक्तिसिंह पिता किशनसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. अमरसिह पिता किशनसिह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ।

—— वादी

बनाम

1. फतेहसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी राणावतों की सादड़ी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
2. महिपालसिह पिता नारायणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. विक्रमसिह पिता नारायणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. गदु कुंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपुत आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 21.04.2025

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि वादीगण के अधिकार एव आधिपत्य की मोरूसी आराजीयात मौजा ग्राम चाकुडा तहसील कपासन के अन्दर हल्के बैरूनी मे स्थित है जिसके पुराना खाता स० 17 के आ०स० 221 रकबा 0. 20 है0, आ०स० 222 रकबा 0.54 है० आ०स० 240/888 रकबा 0.11 है०, आ०स० 297 रकबा 0.23 है०, आ०स० 298 रकबा 0.12 है० आ०स० 299 रकबा 0.32 है०, आ०स० 300 रकबा 0.47 है०, आ०स० 301 रकबा 0.89 है०, आ०स० 302 रकबा 0.30 है०, आ०स० 303 रकबा 0.53 है०, आ०स० 343 रकबा 0.62 है०, आ०स० 681 रकबा 2.12 है०, आ०स० 694 रकबा 0.04 है०, आ0स0 695 रकबा 0.13 है०, कुल किता 14 कुल रकबा 6.62 हैक्टर स्थित है सबुत के लिए नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ सलग्न है । पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया। सजरा अनुसार वर्णित मौरूसी आराजीयात जो किशनसिह पिता देवीसिह राजपुत के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी तथा किशनसिह जी की मृत्यु होने के बाद मृतक किशनसिह जी के वारिस नारायणसिह, शक्तिसिह, अमरसिह तीनो पुत्रो का 1/3, 1/3 हक हिस्सा बनता है तथा उनके पुत्र नारायणसिह पिता किशनसिह की मृत्यु होने के बाद मृतक किशनसिह जी के वारिस नारायणसिह फोत के बजाय — गटुकुवर पत्नी, फतेहसिह पुत्र, महिपालसिह पुत्र, विक्रमसिह पुत्र तथा शक्तिसिह, अमरसिह तीनो के हक हिस्से 1/3, 1/3 हिस्सा का विधिक बटवाडा कराया गया जिसके बटवाडा ना.स. 214 दिनाक 30. 12.2010 से बटवाडा किया गया। जिसमे वादी स० 1 के हक हिस्से मे विभाजन से खसरा स. 221, 240/888, 298 मी., 299/1, 300मी, 301 मी, 302 मी, 343/2, 681मी, 695मी, कुल किता 10 रकबा 2.20 हैक्टर, तथा वादी स. 2 अमरसिह के हक हिस्से मे आ०स० 222, 297, 301/2, 302/2, 303मी, 343, 681/1, 695/1 कुल किता 8 रकबा 2.19 हैक्टर तथा मृतक नारायणसिह के वारिसान के हक हिस्से मे आ०स० 222/1, 298/1, 299, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1, 343/1, 681/2, 695/2 कुल किता 10 रकबा 2.19 हैक्टर अनुसार बटवाडा स्वीकृति अनुसार करना सही है। इसके अलावा आराजी स0 694 रकबा 0.04 हैक्टर किश्म आचा० जिसमे वादीगण का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है मगर राजस्व कर्मचारियो की भुल से आराजी स0 694 आ०चा० का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादीगण के हक हिस्से मे दर्ज रेकोर्ड कर दिया गया। जबकि राजस्व कर्मचारियो को ऐसा कृत्य करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है वादगत आराजीयात पैतृक आराजीयात है जिसमे वादीगण का पैदायशी हक व हिस्सा निहित है इसलिए खातदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी फरमायी जाकर के वादगत आराजीयात आ०स० 694 आ0चा0 मे

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वादीगण को 1 3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार की घोषणात्मक डिकी पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त विवादित मोरूसी आराजीयात आ०स० 694 आ०चा० प्रतिवादीगण के अकेले के नाम पर दर्ज रेकार्ड हो जाने से आराजी को प्रतिवादीगण अन्य लोगो को विक्रय करने मे आमादा है जबकि मौके पर वादीगण कुलिया आराजीयात के 1/3, 1/3 हिस्से पर वादीगण काविज हो करके काश्त कर रहे है और वर्तमान मे भी वादीगण की फसल खडी होकर कुआ से पानी का उपयोग उपभोग बराबर कर रहे है सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक जायदाद है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पक्ष वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की कालम स० 1 मे वर्णित कुल आराजीयात को प्रतिवादीगण किसी अन्य व्यक्ति को वह बक्षीस, विक्रय, दान वसीयत रहन नही करे एवं प्रतिवादी स0 5 वादगत आराजीयात से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे एवं वादगत आराजीयात से वादीगण का कब्जा नही हटावे, ऐसा कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और ना ही किसी अन्य व्यक्ति, नोकर, एजेन्ट परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारिगण से भी नही करावे।

यह कि दिनाक 29.09.2022 को वादीगण कुआ आ०चा० से पानी निकालने गये तो प्रतिवादीगण ने पानी निकालने से रोका, बेदखल किया इसलिए वाद हेतुक दिनाक 29.09.2022 को जारी होकर के निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि –

1. पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमायी जाकर के वाद वर्णित वादीगण को कुलिया आराजी स0 694 आ०चा० का 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इस आशय की घोषणात्मक डिकी पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जावे।

2. यह कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाकर के प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादपत्र की कालम स० 1 मे वर्णित मौरूसी आराजीयात आ०स० 694 आ0चा० को प्रतिवादीगण किसी अन्य व्यक्ति को बह बक्षीस विकय, दान, वसीयत रहन नही करे वादीगण का कब्जा नही हटावे तथा प्रतिवादी स० 5 वादगत आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे कोई परिवर्तन नही करे ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वय करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नोकर, एजेन्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारिगण से भी नही करावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 18.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में शक्तिसिंह, अमरसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। पत्रावली पर जमाबन्दी 2060 से 2063 प्रदर्श–1 व जमाबन्दी संवंत् 2074–77 खाता संख्या 80, 177, 2 प्रदर्श–2 तथा जमाबन्दी संवत् 2064–67 प्रदर्श–3 है।

बहस वादपत्र सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र अवलोकन किया। प्रार्थना की कॉलम संख्या 1 में वाद वर्णित वादीगण को कुलिया आराजी स0 694 आ०चा० का 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों में सहमति बटवाडा सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है जिससे की यह ज्ञात किया जा सके कि सहमति विभाजन से आराजी संख्या 694 सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुई। अतः उक्त कॉलम में चाही गई दाद के समर्थन में साक्ष्य व सवूत प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त दाद प्रदान किया जाना सम्भव नही है।

प्रार्थना की कॉलम संख्या 2 में स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पक्षवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाने का निवेदन किया। उक्त के क्रम में प्रदर्शित दस्तावेज–1 जमाबन्दी संवंत् 2060–2063 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादवर्णित आराजीयात मृत्तक किशनसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो विरासत से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात मौरूसी होने से प्रार्थना की कॉलम संख्या 2 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा चाकुडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन की आराजी सं0 694 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 किस्म आ0चा0 में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पावन्द किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़